

28.02.20

वा.सू.३५०

माननीय राजस्व मन्डल द्वारा स्थगन आदेश का अवलोकन करने पर पाया कि मौके एवं रेकॉर्ड की व्यवस्था बनाये रखने के आदेश हैं, जिससे यह वाद आगे चलाये रखने का कोई औचित्य नहीं रहता है इस वाद खारिज किया जाता है।

माननीय राजस्व मन्डल द्वारा जारी स्थगन आदेश वाकाले होने के परन्तु वारी पुनः वाद प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र रहेंगी।

पत्रावली के अन्त शुभार्थ होकर नम्र स्वरुप में है।

सहायक कलेक्टर
पाली

